उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या बी-4-1094/दस-2006-10 (28)-1994

लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों पर फीस।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-4-277/दस-1983-21(12)-69, दिनांक 26 फरवरी, 1983 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मामले पर पुनः विचार किये जाने के फलस्वरूप शासकीय प्रत्याभूतियों पर देय फीस के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

(1) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों की इकाइयों के पक्ष में दी जाने वाली प्रत्याभूतियों पर 01 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शुल्क लिया जायेगा।

(2) अन्य क्षेत्रों (निजी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये) की इकाइयों के पक्ष में दी जाने वाली प्रत्याभूतियों पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शुल्क लिया जायेगा।

(3) बाह्य सहायतित योजनाओं के लिये दी जाने वाली प्रत्याभूति पर 1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क मूलधन एवं ब्याज के आउट स्टैंडिंग एमाउन्ट पर लिया जायेगा।

(4) गारण्टी शुल्क आउट स्टैण्डिंग एमाउन्ट पर लिया जायेगा तथा गारण्टी शुल्क में डिफाल्ट की स्थिति होने पर डिफाल्ट की अवधि की गारण्टी फीस सामान्य दर से दो गुनी दर पर ली जायेगी।

(5) बाजार ऋण के सम्बन्ध में दी जाने वाली गारण्टी के समक्ष अदत्त मूलधन तथा ब्याज पर 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारण्टी शुल्क लिया जायेगा।

(6) एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था को दिये जाने वाले ऋणों पर दी जाने वाली शासकीय प्रत्याभूतियों पर 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारण्टी शुल्क लिया जायेगा।

(7) गारण्टी देते समय ही प्रभावित वर्ष की गारण्टी फीस ली जायेगी। इसके बाद वर्षानुवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही गारण्टी फीस ली जायेगी।

(8) प्रशासनिक विभाग गारण्टी शुल्क प्राप्त करके तत्सम्बन्धी चालान को लगाकर गारण्टी निष्पादित करायेंगे।

(9) प्राप्त गारण्टी शुल्क को निम्नांकित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा :-

0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें
60-अन्य सेवायें
800-अन्य प्राप्तियां
07-राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी से प्राप्त शुल्क।

ह०/-बी०एम०जोशी,
सचिव।

संख्या बी-4-1094(1)/दस-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2-गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4/2/19/2006-सी०एक्स०(1), दिनांक 21 जून, 2000 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह०/-हिमॉशु कुमार,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 29 सा० वित्त-31-8-2006-(1589)-2,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)।